ॐ

विश्व हिन्दू परिषद – धर्म संसद, रॉयल गार्डन, उडुपी (कर्नाटक)

दिनांक 24, 25, 26 नवम्बर, 2017

प्रस्ताव – क्र. – 2

विषय : मंदिरों का अधिग्रहण व न्यायिक आदेश की आड़ में उनका ध्वंस स्वीकार नहीं किया जा सकता

संपूर्ण देश में हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण की और न्यायिक आदेश की आड़ में अनेक मंदिरों को तोड़ने की परम्परा का देश का संत समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है।

कुछ दिनों पूर्व केरल के गुरुवायूर में स्थित श्री पार्थसारथी मंदिर को मालाबार देवस्वोम बोर्ड ने केरल की वामपंथी सरकार के सहयोग से बलपूर्वक कब्जा कर लिया। इससे पूर्व भी इस मंदिर को अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गयी थी जिसमें ये भक्तों के सशक्त प्रतिकार के कारण सफल नहीं हो सके थे लेकिन इस बार मालाबार देवस्वोम बोर्ड भारी पुलिस बल के साथ पार्थसारथी मंदिर में प्रातःकाल 4 बजे ही घुस गए और मंदिर में उपस्थित प्रत्येक भक्त को जबरन बाहर निकालकर कब्जा कर लिया। मंदिर प्रशासन ने न्याय प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय केरल का दरवाजा खटखटाया है।

भारत के संत समाज को आशंका है कि यह एक परीक्षण मात्र ही है जिसकी सफलता के पश्चात केरल की वामपंथी सरकार देवस्वोम बोर्ड की आड़ में हिंदू मंदिरों का कब्जा कर लेगी। केरल सरकार एक नया कानून बनाने की तैयारी में है जिसके बाद उत्तर केरल के सभी हिंदू मंदिरों पर मंदिर देवस्वोम बोर्ड का कब्जा हो जायेगा। यह षड़यन्त्र हिंदुओं के मंदिर संचालन के मूलभूत अधिकार का हनन होगा। संपूर्ण केरल के आस्थावान हिंदू समाज में वामपंथी सरकार के इस दुर्भावनापूर्ण षड़यंत्र के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है।

इस देश की कथित सेकुलर सरकारों द्वारा हिंदुओं की आस्थाओं को कुचलने के इस षड़यंत्र का पुराना इतिहास रहा है। संपूर्ण देश में हजारों बड़े हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया जा चुका है लेकिन अब यह षड़यंत्र दुबारा से प्रारंभ हो रहा है। संयुक्त आन्ध्रप्रदेश में सभी मंदिरों को नोटिस जारी किए गए थे जिनका क्रियान्वयन वहां की सरकारें कभी भी कर सकती है। हरियाणा में भी दो मंदिरों (चण्डी मंदिर, पंचकुला तथा बनभोरी मंदिर, हिसार) के अधिग्रहण करने का निर्णय वहां की सरकार ले चुकी है। देश के साधु संतों का स्पष्ट मत है कि मंदिरों का सरकारीकरण नहीं समाजिकरण होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में आस्था और व्यवस्था दोनों का संतुलन स्थापित हो सकता है जबकि सरकारीकरण में आस्था समाप्त हो जाती है और वह तीर्थस्थल एक ''पिकनिक स्थल'' के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल हिंदू मंदिरों व मठों का ही अधिग्रहण किया जाता है। भारत में किसी भी सरकार ने किसी भी मस्जिद या चर्च को हाथ भी नहीं लगाया है। क्या ये सभी सरकारें इस बात का संकेत देना चाहती हैं कि केवल हिंदू मठ–मंदिरों में ही कथित अव्यवस्था है? सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ध्यान में आता है कि स्थिति इसके ठीक विपरीत है। भारत के अंदर कई मस्जिदें एवं चर्च घोर अव्यवस्था और अवैध गतिविधियों के केन्द्र बन चुके हैं लेकिन उनकी ओर कोई भी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।

अधिग्रहण के इस षड़यन्त्र का दुर्भाग्यपूर्ण सच एक यह भी है कि केवल उन मंदिरों का ही अधिग्रहण किया जाता है जहाँ अकूत धन–सम्पत्ति है। निर्जन स्थानों पर स्थित उपेक्षित मंदिरों की व्यवस्था इनके लिए चिंता का विषय नहीं होती है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि अधिग्रहण की प्रेरणा अव्यवस्था नहीं मंदिरों की धन सम्पत्ति है। यह भी अनुभव में

आया है कि अधिग्रहीत मंदिर राजनैतिक विस्थापन का माध्यम बन जाते हैं। इन मंदिरों का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

अपने आपको सेकुलर घोषित करने वाली सरकारों का काम मंदिर चलाना नहीं है। यह भारतीय संविधान की भावना का स्पष्ट उल्लंघन है। मंदिरों का अधिग्रहण करने वाली सरकारों को पहले अपने आपको हिंदू सरकारें घोषित करना चाहिए। किसी भी धर्मस्थल के संचालन का स्वाभाविक अधिकार उस धर्म के अनुयायियों का ही होता है। मुस्लिम व ईसाई धर्मस्थलों में इस प्राकृतिक नियम का कठोरतापूर्वक पालन होता है परन्तु अधिग्रहीत हिंदू धर्मस्थलों में इस प्राकृतिक नियम की घोर अवहेलना की जाती है। इन मंदिरों के व्यवस्थापन में अन्य धर्मावलंबियों को भी सम्मिलित किया जाता है इससे हिंदू भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है और उनके साथ घोर अन्याय होता है।

धर्म संसद सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश देती है कि जिन मंदिरों के अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है वह अविलंब रूप से रोका जाए अन्यथा हिंदू समाज इस षड़यंत्र को विफल करने के लिए संघर्ष करेगा। जो मंदिर पहले से अधिग्रहीत हैं उन्हें भी हिंदू समाज को वापस करना चाहिए। उनकी व्यवस्थाओं पर संबंधित सरकारें संत समाज से चर्चा कर सकती हैं। हिंदू समाज की आस्थाएं सरकारी नियंत्रण में बंदी बनी रहे यह किसी भी स्थिति में संतों को स्वीकार नहीं है।

हिंदू मठ मंदिर व्यवस्था एवं विकास विरोधी नहीं है। गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना में हिंदू मंदिरों का भरपूर सहयोग उल्लेखनीय है। न्यायिक आदेश की मनमानी एवं एक पक्षीय व्याख्या करके कुछ राज्य सरकारों ने विकास के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को पिछले दिनों तोड़ा है। यह सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश मस्जिदें, मजारें व चर्च सरकारी व व्यक्तिगत जमीनों पर ही कब्जा करके बनाई गयी हैं। इसके बावजूद इनको हाथ लगाने की हिम्मत कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। पिछले दिनों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित अनेक राज्यों में हिंदू मंदिरों को सरकारी आदेश के द्वारा ध्वस्त किया गया। कई राज्यों में मठ–मंदिरों की जमीन एवं स्वामित्व पर अवैध कब्जा करने के लिए असामाजिक तत्वों को सरकारी संरक्षण में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण और ध्वंस हिंदू आस्थाओं पर दोहरा प्रहार है।

संत समाज, हिंदू अधिकार एवं आस्थाओं के इस हनन की कठोर शब्दों में निंदा करता है। ये दोनों षड़यंत्र हिंदू समाज को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक होने की अनुभूति कराता है। यह स्थिति हिंदू समाज एवं संत समाज को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हिंदू समाज की आस्थाओं का सम्मान करना सभी सरकारों का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। उन्हें अपने दायित्व को स्वीकारते हुए अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए और मंदिरों के अधिग्रहण और ध्वंस को रोकने के लिए अविलंब निर्णय लेना चाहिए। देश का संत समाज हिंदू समाज से आह्वान करता है कि वे अपनी आस्था एवं धार्मिक अधिकारों के लिए संबंधित सरकारों पर दबाव बनाए। इसके बाद भी अगर उपयुक्त निर्णय नहीं लिया जाता है तो समाज संघर्ष करे जिसका नेतृत्व करने के लिए देश का संत समाज हमेशा तत्पर रहेगा।

धर्म संसद हिंदू समाज को यह भी निर्देश देती है कि वे अपने मंदिरों की सुव्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और सामाजिक उत्थान का केन्द्र अपने मंदिरों को बनाएं।

प्रस्तावक : पूज्य गंगाधरेन्द्र सरस्वती जी महाराज, कर्नाटक

अनुमोदक : पूज्य संग्राम महाराज जी, तेलंगाना

दिनांक 25 नवम्बर, 2017